भारत सरकार
ग्रामीण विकास मंत्रालय
ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 4074
(17 मार्च, 2026 को उत्तर दिए जाने के लिए)

बिहार में मनरेगा योजना के अंतर्गत सृजित रोजगार

4074. डॉ. आलोक कुमार सुमन:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत तीन वित्तीय वर्षों के दौरान बिहार में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत सृजित कुल कार्य-दिवसों की संख्या कितनी है;
(ख) विशेषकर गोपालगंज में सृजित कार्य-दिवसों सहित तत्संबंधी जिला-वार ब्यौरा क्या है;
(ग) उक्त योजना के अंतर्गत रोजगार प्राप्त करने वाले परिवारों की संख्या कितनी है;
(घ) उक्त योजना के अंतर्गत किए गए कार्यों के स्वरूप क्या हैं और ग्रामीण अवसंरचना के विकास में उनका क्या योगदान है; और
(ङ) मनरेगा योजना के कामगारों को मजदूरी का समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर
ग्रामीण विकास राज्य मंत्री
(श्री कमलेश पासवान)

(क): पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान बिहार में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (महात्मा गांधी नरेगा योजना) के तहत सृजित श्रमदिवसों की संख्या नीचे दी गई है:

वित्तीय वर्ष	**2022-23**	**2023-24**	**2024-25**
सृजित श्रमदिवस (संख्या लाख में)	2364.32	2205.06	2497.87

नरेगासॉफ्ट के अनुसार

(ख): पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान महात्मा गांधी नरेगा योजना के तहत बिहार में गोपालगंज सहित जिला-वार सृजित श्रमदिवसों का ब्यौरा **अनुबंध** में दिया गया है।

(ग): पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान बिहार में महात्मा गांधी नरेगा योजना के तहत कार्य करने वाले कुल परिवारों की संख्या नीचे दी गई है:

वित्तीय वर्ष	2022-23	2023-24	2024-25
कार्य करने वाले कुल परिवार [लाख में]	50.14	48.18	51.09

नरेगासॉफ्ट के अनुसार

(घ): महात्मा गांधी नरेगा योजना एक माँग आधारित मजदूरी रोजगार योजना है जिसका उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों के प्रत्येक परिवार की माँग के अनुसार प्रत्येक वित्तीय वर्ष में कम से कम सौ दिनों का अकुशल श्रम गारंटीकृत रोजगार के रूप में प्रदान करना है। इसके परिणामस्वरूप निर्धारित गुणवत्ता और सतत उत्पादक परिसंपत्तियों का सृजन होता है।

यहाँ यह उल्लेखनीय है कि योजना के तहत किए जाने वाले कार्यों के प्रकार महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 की अनुसूची-I में निर्दिष्ट हैं। इस योजना के अंतर्गत 267 कार्य अनुमेय हैं, जिनमें से 70 कार्य व्यक्तिगत लाभार्थियों से संबंधित हैं। इन कार्यों में व्यापक रूप से प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन से संबंधित कार्यकलाप जैसे जल संरक्षण और जल संचयन, वॉटरशेड प्रबंधन और परिवारों की भूमि की उत्पादकता में सुधार; सिंचाई सुविधाओं, खेत-तालाबों और पशुधन बुनियादी ढांचे सहित कमजोर वर्गों के लिए व्यक्तिगत और सामुदायिक परिसंपत्तियों का सृजन; स्वयं सहायता समूहों की आजीविका गतिविधियों के लिए साझा बुनियादी ढांचे का विकास; और ग्रामीण बुनियादी अवसंरचना संबंधी कार्य जैसे स्वच्छता सुविधाएं, ग्रामीण सड़कें, जल निकासी प्रणाली, आंगनवाड़ी केंद्र, ग्राम पंचायत भवन और ग्रामीण सार्वजनिक संपत्तियों का रखरखाव शामिल हैं। ये कार्य ग्रामीण बुनियादी ढांचे को सुदृढ़ करने, कृषि उत्पादकता बढ़ाने और ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका के अवसरों में सुधार करने में योगदान देते हैं।

(ङ) अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार, लाभार्थी कार्य पूर्ण होने के 15 दिनों के भीतर मजदूरी भुगतान प्राप्त करने के हकदार हैं। समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के लिए, भारत सरकार ने सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को एक व्यापक मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) जारी की है, जो मस्टर रोल अपलोडिंग से लेकर निधि अंतरण आदेश (एफटीओ) के अनुमोदन तक मजदूरी भुगतान प्रक्रिया के प्रत्येक चरण के लिए निश्चित समय-सीमाएं निर्धारित करती है। मंत्रालय ने राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ मिलकर मजदूरी के समय पर भुगतान में सुधार के लिए समन्वित प्रयास किए हैं। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को समय पर भुगतान आदेश जारी करने की सलाह दी गई है।

मंत्रालय ने महात्मा गांधी नरेगा योजना के अंतर्गत श्रमिकों को समय पर मजदूरी भुगतान सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न कदम उठाए हैं। इनमें निम्न शामिल हैं:

- राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक निधि प्रबंधन प्रणाली (एनई-एफएमएस) में सुधार
- समय पर मजदूरी भुगतान सुनिश्चित करने, लंबित मुआवजा दावों के सत्यापन आदि के लिए राज्य सरकारों और अन्य हितधारकों के साथ गहन परामर्श
- समय पर भुगतान की निगरानी और विलंबित मुआवजे के भुगतान के लिए मानक संचालन प्रक्रिया का निर्माण
- आवधिक बैठकों, निष्पादन समीक्षा समिति बैठकों, मध्यावधि समीक्षाओं आदि के दौरान राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ समय पर भुगतान और विलंबित मुआवजे के भुगतान की स्थिति की समीक्षा

इसके अतिरिक्त, मंत्रालय द्वारा समय पर मजदूरी भुगतान सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न तकनीकी पहलों के माध्यम से निरंतर प्रयास किए गए हैं। कुछ प्रमुख पहलों में शामिल हैं:

- प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी): मजदूरी केंद्रीय खाते से सीधे श्रमिकों के बैंक खातों में अंतरित की जाती है जिससे मध्यस्थों की भूमिका न्यूनतम हो जाती है और निधि का दुरुपयोग कम होता है। यह पारदर्शिता बढ़ाने और लीकेज रोकने में प्रभावी सिद्ध हुआ है। लगभग 100% निधि का प्रबंधन इलेक्ट्रॉनिक रूप से किया जाता है और मजदूरी का भुगतान पूरी तरह प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (डीबीटी) प्रोटोकॉल के माध्यम से किया जाता है।
- आधार भुगतान ब्रिज सिस्टम (एपीबीएस): एपीबीएस रूपांतरण एक प्रमुख सुधार प्रक्रिया है, जिसमें महात्मा गांधी नरेगा योजना के अंतर्गत श्रमिकों के आधार नंबर के आधार पर लाभ सीधे बैंक खातों में जमा किए जाते हैं, अधिमानतः आधार आधारित भुगतान के माध्यम से, जो वितरण प्रक्रिया में कई स्तरों कम करता है। एपीबीएस बेहतर लक्ष्यीकरण में मदद करता है, प्रणाली की दक्षता बढ़ाता है, भुगतान में देरी कम करता है, लीकेज रोककर अधिक समावेशन सुनिश्चित करता है तथा अधिक जवाबदेही और पारदर्शिता को बढ़ावा देता है।
- राष्ट्रीय मोबाइल निगरानी प्रणाली (एनएमएमएस): कार्यस्थल पर जियो-टैग किए गए फ़ोटोग्राफ के माध्यम से रियल-टाइम उपस्थिति दर्ज करने से उपस्थिति की सटीक और समय पर रिकॉर्डिंग सुनिश्चित होती है जो मजदूरी के समय पर भुगतान में सहायक होती है।

महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 (महात्मा गांधी नरेगा) की अनुसूची-II में उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार, मजदूरी की मांग करने वाले व्यक्ति मस्टर रोल बंद होने के सोलहवें दिन के बाद विलंब के प्रत्येक दिन के लिए भुगतान न की गई मजदूरी के 0.05% की दर से विलंबित मुआवजे का भुगतान प्राप्त करने के हकदार होंगे। विलंबित मुआवजे के नियम संबंधित राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किए जाते हैं। मुआवजे की देय राशि का

समुचित सत्यापन एवं अनुमोदन किया जाता है तत्पश्चात राज्य सरकार द्वारा उसका भुगतान किया जाता है।

लोक सभा में दिनांक 17.03.2026 को उत्तर दिए जाने के लिए नियत अतारांकित प्रश्न संख्या 4074 के उत्तर के भाग (ख) में उल्लिखित अनुबंध

बिहार में महात्मा गांधी नरेगा योजना के तहत पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान जिला-वार सृजित श्रमदिवसों का ब्यौरा नीचे दिया गया है।

क्र.सं.	बिहार के जिले	सृजित श्रम दिवस (संख्या लाख में)		
		2022-23	2023-24	2024-25
1	अररिया	87.32	55.40	71.04
2	अरवल	30.58	20.27	20.46
3	औरंगाबाद	91.99	65.63	68.21
4	बांका	38.47	38.61	42.59
5	बेगूसराय	39.68	36.23	41.69
6	भागलपुर	56.14	48.32	57.39
7	भोजपुर	47.00	36.69	44.35
8	बक्सर	38.07	44.89	54.63
9	दरभंगा	78.07	71.33	78.63
10	गयाजी	157.98	127.48	134.10
11	**गोपालगंज**	**29.27**	**38.88**	**37.47**
12	जमुई	60.88	71.77	93.49
13	जहानाबाद	29.66	28.26	34.83
14	कैमूर (भभुआ)	46.30	40.60	46.38
15	कटिहार	91.54	79.78	93.13
16	खगरिया	20.55	19.56	19.58
17	किशनगंज	51.66	56.99	75.72
18	लखीसराय	32.54	28.70	39.05
19	मधेपुरा	48.94	41.72	48.11
20	मधुबनी	68.42	58.87	65.00
21	मुंगेर	41.50	43.22	53.66
22	मुजफ्फरपुर	74.57	85.12	92.84
23	नालन्दा	85.18	91.37	103.26
24	नवादा	98.23	84.14	92.45
25	पश्चिम चंपारण	78.50	62.78	70.65

26	पटना	59.46	54.20	58.58
27	पूर्वी चंपारण	115.06	114.70	120.45
28	पूर्णिया	63.45	68.67	79.42
29	रोहतास	55.71	46.81	58.23
30	सहरसा	70.69	98.97	107.03
31	समस्तीपुर	117.98	99.83	110.89
32	सारण	87.95	77.38	86.26
33	शेखपुरा	21.80	17.94	17.85
34	शिवहर	19.76	20.06	18.81
35	सीतामढ़ी	68.20	69.69	71.49
36	सिवान	49.88	46.87	56.28
37	सुपौल	45.21	44.32	48.80
38	वैशाली	66.13	69.01	85.08
	कुल	2364.32	2205.06	2497.87

नरेगासॉफ्ट के अनुसार